[1]संविधान (अनुसूचित जनजातियां) [2][(संघ राज्यक्षेत्र)] आदेश, 1951

(सं0 आ0 33)

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा यथासंशोधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :--

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जनजातियां) [2][(संघ राज्यक्षेत्र)] आदेश, 1951 कहा जा सकेगा ।

2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ, जो इस आदेश की अनुसूची के [3][भाग 1 और 2] में विनिर्दिष्ट हैं उन [2][(संघ राज्यक्षेत्र)] के संबंध में, जिनसे वे भाग क्रमशः संबद्ध हैं, वहां तक, जहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उन परिक्षेत्रों के निवासी हैं जो उस अनुसूची में उन भागों में क्रमशः उनके संबंध में विनिर्दिष्ट हैं, अनुसूचित जनजातियां समझे जाएंगे ।

[4][3. इस आदेश में अनुसूची के भाग 1 में संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1 नवम्बर, 1956 [5]***। को संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित किसी राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है, [6][और अनुसूची के भाग 2 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन नियत दिन से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित राज्य-क्षेत्र के प्रति निर्देश है] ।]

[7][अनुसूची

[8]* * * * * *

[9]* * * * * *

[10][भाग 1---लक्षद्वीप]

समस्त संघ राज्यक्षेत्र में--

लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप के वे निवासी जो और जिनके माता-पिता दोनों ही, उन द्वीपों में जन्मे हैं ।

[11][परन्तु ऐसे बालक जो लक्षद्वीप के निवासियों से भारत के मुख्य भू-भाग में किसी अन्य स्थान पर जन्म लेते हैं, द्वीपों में जन्मे निवासी समझे जाएंगे यदि ऐसे बालक द्वीपों में स्थायी रूप से बस जाते हैं ।

स्पष्टीकरण--"स्थायी रूप से बस जाते हैं" पद का वही अर्थ होगा जो लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 (1994 का विनियम 4) के खंड 3(1)(घ) में परिभाषित है ।]

[12][भाग 2---दमण और दीव

सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र में :--

1. ढोडिया
2. दुबमा (हलपती)
3. नायकडा (तलाविया)
4. सिद्दी (नायक)
5. बरली ।]

[13]* * * *

[14]* * * *

---

[1] विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0 नि0 आ0 1427ख, तारीख 20 सितम्बर, 1951, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1951, भाग 2, खंड 3, पृष्ठ 1198जी पर प्रकाशित ।

[2] अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूचियां (उपान्तरण) आदेश, 1956 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 19 और दूसरी अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) प्रतिस्थापित ।

[4] 1971 के अधिनियम सं0 81 की धारा 26(2) और पांचवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) पैरा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1986 के अधिनियम सं0 69 की धारा 17 और चौथी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[6] 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 19 और दूसरी अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित ।

[7] अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूचियां (उपांतरण) आदेश, 1956 द्वारा अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1970 के अधिनियम सं0 53 की धारा 20 और चतुर्थ अनुसूची द्वारा (25-1-1971 से) हिमाचल प्रदेश की बाबत भाग 1 का लोप किया गया ।

[9] 1971 के अधिनियम सं0 81 की धारा 26(2) और पांचवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) मणिपुर और त्रिपुरा की बाबत क्रमशः भाग 2 और भाग 3 का लोप किया गया ।

[10] लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह (नाम परिवर्तन) (विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा (1-11-1973 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । (1973 के अधिनियम सं0 34 की धारा 4 द्वारा संशोधित ।)

[11] 2009 के अधिनियम सं0 2 की धारा 2 द्वारा (7-1-2009 से) अंतःस्थापित ।

[12] 1971 के अधिनियम सं0 81 की धारा 26(2) और पांचवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) अंतःस्थापित ।

[13] 1986 के अधिनियम सं0 34 की धारा 14 और चौथी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) भाग 2 का लोप किया गया ।

[14] 1986 के अधिनियम सं0 34 की धारा 17 और चौथी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) भाग 3 का लोप किया गया ।